

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या—133/20-21(III)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/9/2020	<p>वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्बवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074 / रा०, दिनांक—13.05.2016 सहपठित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खा०म०निति—119/85/2308/रा०, दिनांक—03.09.1985 एंव सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914/रा०, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—</p> <p>मौजा—.....टक्किनुडी....., थाना नं०—.....196....., खाता संख्या—.....35.....प्लॉट संख्या—.....77....., रकबा—.....1250..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या—.....1..... के पृष्ठ संख्या—.....89..... पर जमाबंदी रैयत .....काढ़ी मोदी पिला लुधु मोदी..... के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक—19/9/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">(6) 9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

५१९८०

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

## संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :— कर्दो मोदी/पिला उम्भु मोदी
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :—  

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>वडाकुड़ीट</u>	196	35	77	128/-
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... 1 ..... पृष्ठ सं०..... 89 ..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है— 2001-02
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :— गौर आवाड माधव
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :— उ०
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :— गौर आवाड
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिवार्य सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोवस्ती) — भू-बन्दोवस्ती 140(VIII) 2000-01.
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)  
संचारित पंजी - 2
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एंव वर्ष —

कस संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	7835 573.	7.3.2002	2001-02

अंकीन/अठनी, जोनियर  
मराठावा

आवादेते अमेरिंद्रा वडाकुड़ीट भाग 60 16 (वर्ता  
35 प्लॉट ७० ७७ रकबा 128/- संचारित गौर आवाड पंजी के अन्तर्गत जो (कापा  
वाला का) दूँ पालिकार कांसम में भू-बन्दोवस्ती 140(VIII) 2000-01 दर्ता वर्ष  
2001-02 तक लगान रसीद निर्गत होने का विवरण दूँ पालिकार का विवरण दूँ पालिकार  
गमानी संलिख प्रतीत होना ही काय